

**भारतीय सर्वेक्षण विभाग**  
**SURVEY OF INDIA**

ओ0 57 (क)  
O.57 (a)

मांग पत्र सं0 INDENT No.  
तारीख DATED

केवल मूल प्रति में मांग कीजिए INDENT IN ORIGINAL ONLY

**“प्रतिबंधित” मानचित्रों के लिए मांग पत्र INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS**

नोट :- “प्रतिबंधित” मानचित्र सामान्यतः केवल सरकारी अधिकारियों या स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं के अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर दिये जायेंगे। मांगपत्र छठवें पृष्ठ पर पैरा 9 में उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। सैनिक संगठनों की मांग के लिए कृपया छठवें पृष्ठ पर पैरा 10 में लिखी हिदायतों को देखिए।

NOTE :- "Restricted" maps will, normally, be issued only to Govt. officials and those of local administrative bodies when required by them for official work. Indents should be sent to the officer mentioned in para 9 on page 6. For indents from military formations, please see instructions contained in para 10 on page 6.

क्रमांक Serial No.	मानचित्रों का विवरण शीट सं0 आदि जैसा पूरा विवरण दिया जाना चाहिए DESCRIPTION OF MAPS Full details such as sheet numbers, etc., should be given	मानचित्रों का पैमाना Scale of maps	मांगी गई प्रतियों की संख्या Number of copies required	मानचित्र किस पते पर भेजे जाने हैं ? ADDRESS to which the maps are to be despatched
				<p style="text-align: center;">प्रेषण का तरीका MODE OF DESPATCH :</p> <p>* डाक/यात्री/मालगाडी द्वारा भेजिये * DESPATCH BY POST/RAIL PASSENGER/GOODS</p> <hr/> <p>* भुगतान का तरीका * MODE OF PAYMENT :</p> <p>खाते नामे डाल कर समायोजित Adjust by Book Debit नकद भुगतान Cash payment डिमांड ड्राफ्ट द्वारा Demand Draft कैश बिल सहित भेजिए Send with a cash bill * जो लागू न हो उसे काट दीजिए *Strike out alternatives which do not apply.</p> <hr/> <p>मांग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Indenting officer _____ पद Designation _____ स्थान Place _____ तारीख Date _____ अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर Countersigned by the approving authority # _____ नाम Name _____ पद Designation _____</p>
	<p>टिप्पणी :- क्रमानुसार आवश्यक अतिरिक्त मानचित्रों की सूची संलग्न कीजिए N.B. Attach list of extra maps required in serial order.</p>			
	<p># “प्रतिबंधित” मानचित्रों के मांग-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची नीचे अनुच्छेद 1 में दी गई है। चौथे और पाँचवें पृष्ठ के अनुसार उचित रूप से प्रमाण-पत्र भर कर मांग अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। # A list of officials authorized to countersign indents for "Restricted" maps is given in para 1 below. The certificates on pages 4 and 5 should also be duly completed and signed by the indenting officer.</p>			<p style="text-align: center;">(कार्यालय की मुहर) (Stamp of office)</p> <p>स्थान Place _____ तारीख Date _____</p>

1. सरकारी काम के लिए अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालयों और अधीन अधिकारियों के लिए आवश्यक “प्रतिबंधित” मानचित्रों के मांग-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत सिविल सरकारी अधिकारियों की सूची।

LIST OF CIVIL GOVERNMENT OFFICERS AUTHORISED TO COUNTERSIGN INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS WHEN REQUIRED BY OFFICES AND OFFICERS UNDER THEIR CONTROL FOR THE EXECUTION OF THEIR OFFICIAL DUTIES.

- (I) भारत सरकार के अवर सचिव पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी।  
All officers of the rank of Under Secretaries to the Government of India and above.
- (II) भारत सरकार के संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन पब्लिक सेक्टर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।  
Heads and Deputy Heads of attached, subordinate Departments of the Government of India and Public Sector Units under Central & State Govt.
- (III) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उपनिदेशक तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी।  
Deputy Directors and above of the Survey of India.

- (IV) राज्य सरकारों के उप सचिव के पद के अधिकारी तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी, उनसे संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों के अध्यक्ष शामिल हैं ।  
All officers of the rank of Deputy Secretary to State Governments and above, including Heads of their attached, subordinate Departments and Public Sector Units under them.
- (V) भारत के सिविल प्रभागों और जिलों के प्रभारी कमिश्नर और उप कमिश्नर और कलेक्टर ।  
Commissioners and Deputy Commissioners and Collectors-in-charge of Civil Divisions and Districts in India.
- (VI) विदेशों में भारत सरकार के सभी राजनयिक प्रतिनिधि ।  
All diplomatic representatives of the Govt. of India abroad.
- (VII) भारत के सभी राज्यों के पुलिस उप कमिश्नर ।  
Deputy Commissioners of Police of all State Govt. of Indian Territory.
- (VIII) राज्य सरकारों के हेडक्वार्टरों के सहायक महानिरीक्षक पुलिस ।  
Assistant Inspector General of Police at Headquarters of state Governments.
- (IX) खुफिया पुलिस विभाग और या राज्य सरकार के गुप्तवार्ता शाखा के उप महानिरीक्षक पुलिस ।  
Deputy Inspector-General of Police, Criminal Investigation Department and/or Intelligence Branch of State Governments.
- (X) भारत के सभी राज्यों के अरण्यपाल, उनके सर्किल के प्रतिबन्धित मानचित्रों के लिये ।  
Conservators of forests, of all States of Indian Territory, in respect of restricted maps of their Circles.

सूची में अंकित वे अधिकारी जिन्हें प्रतिबन्धित मानचित्रों के मांग-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने का भार सौंपा गया हो जब कि वे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम के लिये मांगे गये हो ।

List of officers to whom powers have been delegated to countersign indents for Restricted maps when required by officers under their control for execution of their official duties.

- (क) मुख्य/उप जल सर्वेक्षक और भारत के मुख्य सहायक सिविल जलसर्वेक्षक अधिकारी, देहरादून ।  
The Chief/Deputy Hydrographer and the Asst. Chief Civil Hydrographic Officer, Govt. of India, Dehra Dun.
- (ख) राज्य सरकारों के सभी अधीक्षक अभियन्ता ।  
All Superintending Engineers of State Govt. Department.
- (ग) निदेशक, भारतीय दूतावास, नेपाल, काठमाडू ।  
Director, Indian Aid Mission, Nepal, Katmandu.
- (घ) सभी निदेशक/उप निदेशक या उप महानिदेशक, पैरा मिलिट्री फोर्स जैसे; सी.आर.पी, आई.टी.बी.पी, सी.आई.एस.एफ, आसाम राइफल्स, बी.एस.एफ और एस.एस.बी ।  
All Directors/Deputy Directors or Deputy Inspector Generals of Paramilitary Forces i.e. CRPF, ITBP, CISF, Assam Rifles, BSF and SSB.
- (च) के० लो० नि० वि० के सभी अधीक्षक अभियन्ता ।  
All Superintending Engineers in C.P.W.D.
- (छ) संघ लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव से नीचे के अधिकारी न हो ।  
Officers not below the rank of Under Secretary to the Union Public Service Commission.
- (ज) मुख्य /उप चुनाव आयुक्त, सचिव, व अवर सचिव, चुनाव आयोग ।  
Chief/ Deputy Election Commissioner, Secretary and Under Secretaries Election Commission.
- (झ) सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकार व उप पंजीकार ।  
Registrar and Deputy Registrar of Supreme Court of India.
- (ट) राष्ट्रपति के सैनिक सचिव/उप सैनिक सचिव और अवर सचिव ।  
Military Secretary/Deputy Military Secretary and Under Secretary to the President.
- (ठ) प्रधान मंत्री के मुख्य व्यक्तिगत सचिव और (प्रशासकीय, सार्वजनिक, निजी) व्यक्तिगत सचिव ।  
Principal Private Secretary and Private Secretaries (Admn. Public Personal) to the Prime Minister.
- (ड) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और सहायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (व्यक्तिगत) ।  
Accountant General Central Revenues and the Assistant Comptroller and Auditor General (Personal).

- (ढ) मानचित्र उत्पादन प्रखण्ड, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के निदेशक/अधीक्षों भूविज्ञानी प्रभारी ।  
Directors/Superintending Geologist- In-Charge of the Map Production Division, Geological Survey of India.
- (त) उच्च एवं उप शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय ।  
Deputy Educational Advisors and above, Ministry of Education.
- (थ) भूगर्भ के निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ।  
Director of Geology, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC).
- (द) प्रधान खण्ड, परमाणु शक्ति स्थापना, ट्रॉम्बे, इसरो और आई.आई.आर.एस ।  
Divisional Head, Atomic Energy Establishment, Tromby, ISRO and IIRS.
- (ध) उच्च एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता ।  
Assistant Librarian and above, National Library, Kolkata.
- (न) वरिष्ठ विशेषज्ञ, भूमि साधन, योजना आयोग, नई दिल्ली ।  
Senior Specialist, Land Resources, Planning Commission, New Delhi.
- (प) महानिदेशक, एवं सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ।  
Director General and Secretaries, Council of Scientific and Industrial Research.
- (फ) उप कुलपति, सेन्ट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी ।  
Vice Chancellor of Central and State Universities.

2. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्गम के लिये राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों को अधिभार दिया है कि वे शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं दूसरे अर्ध-सरकारी संगठनों के वास्तविक कार्यों (स्पष्ट संकेत दें) जिनको रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0-7 (7)/64/डी0 (जी0 एस0- III ) तारीख 25.08.1967 के पैरा 3 में उल्लेख है। यह शर्त अर्ध-सरकारी संगठनों जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से सम्बन्धित विभागों/राज्य सरकारों को कुछ नियंत्रण है, पूरा करती है। इन दशाओं में मांग-पत्र पर भारत सरकार के उप सचिव के पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी या सचिव राज्य सरकार के प्रतिहस्ताक्षर होंगे ।

Powers are delegated to State Governments, concerned Ministries and Departments of the Central Government to authorize the issue of Restricted maps to Educational and Scientific Institutions and to other semi-Government Organisations for bonafide purpose (to be clearly indicated) subject to the conditions laid down in para 3 of the Ministry of Defence letter No.F-7(7)/64/D (GS-III) datd 25.8.1967. The term other semi-Government Organisations would cover those on which the Ministry/Department concerned of the Central Government/State Government has some control. The indents in such cases will be countersigned by an officer of the rank of Deputy Secretary to the Government of India or above or the Secretary to the State Government.

3. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्गम के लिये व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों से रक्षा मंत्रालय का स्पष्टी पत्र आना आवश्यक है । इनके मांग पत्रों पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने से पूर्व राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद या इनसे ऊपर के सभी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए ।

Clearance of the Ministry of Defence is essential for the issue of Restricted maps to private individuals, organizations and commercial firms. Indents for these should be countersigned by an officer of the rank of Joint Secretary or above in the State Governments before they are referred to Ministry of Defence for obtaining clearance.

4. व्यक्तियों, वाणिज्यक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा भारत की बाहरी सीमा के परे के मानचित्रों के लिये की गई मांग राज्य सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from individuals, commercial firms, etc. for Restricted maps covering area beyond external boundaries of India should be referred through the State Government to the Ministry of External Affairs.

5. भारत स्थित विदेशी दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों से "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की मांग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from Foreign Embassies/Consulates in India for "Restricted" maps should be referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

6. भारत में आये हुए विदेशी यात्रियों द्वारा "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की मांग उनके भारत स्थित दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा की जानी चाहिये और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from Foreign Expeditions to India for "Restricted" maps should be sponsored by their Embassies/Consulates in India and referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

नोट Note: (i) "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की पूर्ति के मांग-पत्र पर चौथे और पांचवे पृष्ठ पर दिये गये फार्म में एक प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये ।  
All demands for supply of "Restricted" maps should be accompanied by a certificate in the form given on pages 4 and 5.

(ii) मानचित्रों की अभिरक्षा आदि और कोई क्षति हो जाने पर जांच पड़ताल के लिये रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या पी0सी0 7 (7) 64/डी0(जी0 एस0- III ) दिनांक 11.09.1965 को प्रक्रिया में लाना चाहिये ।

The procedure for the safe custody, etc., and for investigation of any loss of maps given in Ministry of Defence letter No.PC.7(7)/64 D.(GS-III) dated 11.9.1965 invariably be followed.

(iii) "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की अभिरक्षा का वार्षिक प्रमाण-पत्र मांगकर्ता द्वारा 31 दिसम्बर को, छपे हुये फार्म पर, प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।  
The annual certificate of safe custody of "Restricted" maps should be furnished on 31<sup>st</sup> December by the indenter on the prescribed form.

नोट :- यह प्रमाण-पत्र मांग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर सहित पूर्ण होना चाहिए ताकि इन मानचित्रों की जिम्मेदारी उन पर रहे ।

Note:- This certificate should be duly completed in all respects and signed by the indenting officer over his office stamp, as the responsibility for these maps lies under him.

**प्रमाण-पत्र 'अ' CERTIFICATE 'A'**

मुझे अर्थात् \_\_\_\_\_ (नाम) को निम्नलिखित "प्रतिबन्धित" मानचित्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन \_\_\_\_\_ के द्वारा बेचे गये हैं और मैं इन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ ।

I, \_\_\_\_\_ (Name) agree that the sale to me by \_\_\_\_\_ of the under mentioned "Restricted" maps/sheets is subject to following conditions which I hereby undertake observe.

(i) मानचित्र अति गोपनीय समझे जायेंगे । मैं इस बात की भी सावधानी रखूंगा कि वे खो न जायें और न ही अनाधिकृत व्यक्ति उन्हें देख सकें ।  
The sheets will be treated as very confidential and I will take every reasonable precaution to prevent their being lost or being seen by or afforded access to in any manner to unauthorized persons.

(ii) मैं समझता हूँ कि जो "प्रतिबन्धित" मानचित्र मुझे इस विश्वास के साथ सरकारी व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सौंपे गये हैं और मानचित्रों की उचित सुरक्षा की सावधानी न रखने पर मैं दोषी हूँगा जो कि इस नियम के अधीन 5 (1) (डी) के सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 में अंकित है मैंने जो उपबन्ध सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत हैं पढ़ लिया है और समझ गया हूँ और इस नियम के अंतर्गत इन मानचित्रों की अभिरक्षा, प्रयोग और इनकी सूचना संचार व्यवस्था के प्रति जो गोपनीयता मुझे सौंपी गई है उसे मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैंने यह समझ लिया है कि अपराधी होने पर मैं अपने आपको न केवल स्वेच्छा से वरन साधारण असावधानी होने पर भी मैं अपने आपको न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा ।

I understand that the Restricted maps/sheets have been entrusted in confidence to me by a person holding office under Government and in the event of my failure to take reasonable care of, or so conducting myself as to endanger the safety of the map, I shall be guilty of an offence under Section 5 (1)(d) of the Official Secret Act, 1923. I have carefully read and understood the other provisions of the Official Secret Act, 1923 and fully understand the duty imposed upon me by the Act, in respect of the custody, use and communication of the information contained in the said map entrusted in confidence to me. I have also understood that I would expose myself to criminal liability not only in the case of an intentional or willful act but also on arising out of my recklessness or ordinary negligence.

(iii) किसी भी मानचित्र की आंशिक या पूरी प्रति फोटोग्राफी या अन्य साधनों से पुनरुत्पादित नहीं की जायेगी । वरन् जबकि यह सरकारी काम काज के लिए आवश्यक हो और इसकी प्रतिलिप्याधिकार की आज्ञा महासर्वेक्षक भारत से प्राप्त कर ली हो :

No sheet will be reproduced in part, or in whole, either by photography or by any other means except when it is necessary to do so for official purposes and the requisite permission in accordance with the Copyright Act has been obtained from the Surveyor General of India.

(iv) जो प्रतिबन्धित मानचित्र मुझे दिये गये हैं मैं उनका ठीक लेखा-जोखा और उनकी सामयिक वस्तुगत पड़ताल करूंगा, मैं एक वार्षिकी प्रमाण-पत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग \_\_\_\_\_ (निर्गम का स्थान)/मुख्य सचिव \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम/संघ क्षेत्र) सरकार को 31 दिसम्बर को प्रतिवर्ष भेजूंगा जो कि प्रतिबन्धित मानचित्र मुझे दिये गये हैं उनकी वस्तुगत पड़ताल कर ली गई है इनके बारे में जो क्षति हो उनके अनुदेश मद (vi) में नीचे दिये गये हैं ।

I will maintain a proper record of all the restricted maps issued to me and undertake to periodically check these physically, I will furnish an annual certificate to the Survey of India \_\_\_\_\_ (place of issue)/Chief Secretary to the Government of \_\_\_\_\_ (Name of State/Union Territory) on the 31<sup>st</sup> December every year to the effect that all restricted maps issued to me have been physically accounted for an losses if any, reported in accordance with the instructions in item (vi) below.

(v) मैंने मानचित्र निर्गम की गई तारीख से लगभग \_\_\_\_\_ महिने/वर्ष/स्थायी के लिये मांगे हैं और काम पूरा होने पर मुख्य सचिव \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम /संघ क्षेत्र) सरकार / भारतीय सर्वेक्षण विभाग \_\_\_\_\_ (निर्गम का स्थान) यदि कभी किसी काम के लिये चाहें तो मैं उसी समय मानचित्र /चित्रों को निदेशक, खुफिया सैनिक या उनके प्रतिनिधि को वापिस कर दूंगा । मैं यह भी वचन देता हूँ कि \* मुख्य सचिव \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम /संघ क्षेत्र) सरकार / \*\*भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जो मानचित्र बेकार या फट गये हैं उनको नष्ट करने के लिये वापिस कर दूंगा । मैं इन्हें वापिस करने पर मानचित्रों की कीमत की मांग नहीं करूंगा ।

I require the sheet/s for about \_\_\_\_\_ months/years/permanently from the date of issue and will return the same when done with to the Chief Secretary to the Government of \_\_\_\_\_ (name of State/Union Territory)/Survey of India at \_\_\_\_\_ (Place of issue). If, however, called upon to do so in the meantime I will return the sheet/s to the Director of Military Intelligence or their representatives. I also/undertake to return to the \*Chief Secretary to the Government of \_\_\_\_\_ (Name of State/Union Territory)/\*\*Survey of India for destruction, the maps which become unserviceable due to wear and tear or otherwise. I will claim no refund of the price of the map/s on returning it/them.

(vi) मानचित्रों के खो जाने पर मैं शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और उच्च विभागीय अधिकारी \_\_\_\_\_ (नाम) \*\*\*मंत्रालय/मुख्य सचिव \_\_\_\_\_ (राज्य का नाम /संघ क्षेत्र) सरकार / नजदीक की पुलिस की चौकी \*\*\*\*और मुख्य सचिव \*\*\*\*\* (राज्य का नाम /संघ क्षेत्र) सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जॉच पड़ताल के लिये और इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को करूंगा । मैं यह भी समझता हूँ कि प्रतिबन्धित मानचित्रों की क्षति राजकीय गोपनीय अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध होगा और उपरोक्त मानचित्रों के खो जाने के विषय में ज्ञात हो जाने पर मैं कानूनी रूप से इसकी शीघ्र सूचना देने को बाध्य हूँ । मैं यह भी समझता हूँ कि क्षति की रिपोर्ट देने में असफल होने पर अधिनियम 202 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुझ पर अभियोग लगाया जायें ।

\* मानचित्रों के निर्गम के लिये अधिकारी राज्य सरकार / संघ क्षेत्र द्वारा प्राधिकार है ।

For maps, the issue of which is authorized by officers of the State Govt./Union Territory.

\*\* मानचित्रों के निर्गम के लिये अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकार है ।

For maps, the issue of which is authorized by officers of the Central Government.

\*\*\* केन्द्रीय सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ।

In the case of Central Government Offices.

\*\*\*\* राज्य सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ।

In the case of State Government Offices.

\*\*\*\*\* व्यक्तिगत मांगकर्ताओं के मामले में ।

In the case of private indentors.

I will immediately report the loss to the Ministry of Defence, New Delhi and also to the Head of the Department/Ministry \_\_\_\_\_ (Name)/Chief Secretary to the Government of \_\_\_\_\_ (Name of State)/Union Territory/nearest Police Station \_\_\_\_\_ and the Chief Secretary to the Government of \_\_\_\_\_ (Name of State/Union Territory) and the Survey of India for investigation and report to the Ministry of Defence. I have understood that the loss of the Restricted maps may amount to an offence under the Official Secret Act and that I am legally bound to give information about the offence immediately upon receiving knowledge about the loss of the said maps. I have also understood that failure to report about the loss would render me liable for prosecution under Section 202 of the Indian Penal Code.

- (vii) मैं यह भी वचन देता हूँ कि मानचित्र / चित्रों को बिना रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के विदेशों को निर्यात नहीं करूंगा जैसा कि वित्त मंत्रालय के अधिनियम 118 सी.यू.एस./एफ.-संख्या 215/62 सी.यू.एस.- I/VIII दिनांक 4-5-63 में अनुदेश है।

I also undertake not to export map/s abroad without the prior approval of the Ministry of Defence and in accordance with the instructions in Govt. of India, Ministry of Finance Notifications No.118-CUS-F No.215-62-CUS-I/VIII dated 4.5.63.

मानचित्र का शीर्षक और शीट सं. Title of map and Sheet No. \_\_\_\_\_ प्रतियों की संख्या No. of Copies \_\_\_\_\_

स्थान Place \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर Signature \_\_\_\_\_

दिनांक Date \_\_\_\_\_

पता Address \_\_\_\_\_

### प्रमाण-पत्र 'ब' CERTIFICATE 'B'

(इसके अतिरिक्त ये शिक्षण/वैज्ञानिक संस्थाओं और दूसरे अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण होना चाहिये)

(To be completed by Educational/Scientific Institutions and other semi-Government Organisations in addition)

मैं \_\_\_\_\_ (नाम बड़े अक्षरों में) यह भी शर्तें जो [ रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0- 7 (7) /64/डी0 (बी0एस0 III) दिनांक 25.08.67 में हैं] स्वीकार करता हूँ और प्रमाणित करता हूँ कि: -

I, \_\_\_\_\_ (Name in block letters) also agree to the following conditions [vide Ministry of Defence letter No.F-7(7)/64/D (GS III) 25.8.67] and certify that :-

- (i) मानचित्र (प्रयोजन बतायें) \_\_\_\_\_ चाहिये।  
The maps are required for (state purpose) \_\_\_\_\_
- (ii) मानचित्र गोपनीय समझे जायेंगे और उनको क्षति से रोकने के लिये हर एक सावधानी रखनी होगी।  
The maps will be treated as confidential and will take every precaution to prevent their being lost.
- (iii) मानचित्र संस्था या संगठन के उच्च पदाधिकारी के दायित्व में सुरक्षा में रखे जायेंगे और समय समय पर उनकी भौतिक जाँच की जायेगी। यह अधिकारी यह भी विश्वास दिलायेगा कि ये मानचित्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा देखे या प्रयोग नहीं किये गये।  
The maps will be kept by a responsible officer designated by the Head of the Institution or Organization concerned in safe custody and physically checked from time to time.  
This officer will also ensure that the maps are not seen or handled by unauthorized persons.
- (iv) मानचित्र, जबकि अध्ययन दल द्वारा मांगे गये हों, वे नेता के निरीक्षण में (साधारणतया भारतीय राष्ट्रीय या एक संस्था/विश्व-विद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय संगठन का अधिकारी हो) जो कि इस बात का उत्तरदायी होगा कि ये मानचित्र उचित हाथों में जायें और जब आवश्यकता न रहे तो इन्हें संस्था /विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय संगठन को वापिस कर दिया जाये।  
Maps, when required by excursion parties, are given in charge of the leader (normally to be an Indian national and an officer of the Institute/University/College/School Organization) who will be responsible for the correct handling of the maps and for handing them back to the Institute/University/College/School Organization, when no longer required for the purpose.
- (v) संस्था/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय संगठन के प्राधिकारी हर समय मानचित्रों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे और वे सुनिश्चित करेंगे कि जो नियम बने हैं उनका पालन हो रहा हो।  
The authorities of the Institute/University/College/School Organization will be responsible at all times for the safety of the maps and to ensure that the rules made are being duly observed.

स्थान Place \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर Signature \_\_\_\_\_

दिनांक Date \_\_\_\_\_

पता Address \_\_\_\_\_

नोट :- मानचित्र निर्गम का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सुरक्षा के वार्षिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और प्रयोग होने के बाद इनके वापिस मंगाने व नष्ट करने के लिये उत्तरदायी है जिनको कि देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत किया है। जहाँ पर सक्षम प्रतिहस्ताक्षर प्राधिकारी राज्य सरकार या राज्य सरकार के उच्च विभागीय अधिकारी का हो वहाँ वार्षिक प्रमाण-पत्र मांगने व "प्रतिबन्धित" मानचित्र वापिस मांगने व नष्ट करने का दायित्व मुख्य सचिव राज्य /संघ क्षेत्र को सौंपा गया है।

NOTE: The Survey of India map issue offices are responsible for obtaining the annual certificate of safe custody and for recall and destruction of restricted maps after use] for all issues authorized by the Central Government. In cases where the competent countersigning authority is an officer of the State Government or the Head of State Government Department, the responsibility for obtaining the annual certificate and for recall and destruction of restricted maps has been entrusted to the Chief Secretary of State/Union Territory concerned.

\*\*\* केन्द्रीय सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में।

In the case of Central Government Offices.

\*\*\*\* राज्य सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में।

In the case of State Government Offices.

\*\*\*\*\* व्यक्तिगत मांगकर्ताओं के मामले में।

In the case of private indentors.

7. "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की सुरक्षित अभिरक्षा का वार्षिक प्रमाण-पत्र ANNUAL CERTIFICATE OF SAFE CUSTODY OF "RESTRICTED" MAPS

(प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए) (To be submitted by 31<sup>st</sup> December every year)

मानचित्र निर्गम कार्यालय Map Issue Office	बीजक संख्या और तारीख Invoice No. & Date	मानचित्रों का ब्यौरा Details of maps	प्रतियों की संख्या No. of copies	कैफ़ियत Remarks

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की जांच की गई और वे सुरक्षित अभिरक्षा में हैं। मैं यह निश्चित कर रहा हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जाए।

Certified that the "Restricted" maps detailed above have been checked and are in safe custody. Proper precautions for their security are being ensured by me.

स्थान Place \_\_\_\_\_ दिनांक Date \_\_\_\_\_ मानचित्र रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer retaining maps \_\_\_\_\_

8. "प्रतिबन्धित" से उच्च कोटि के मानचित्रों की सभी मांगें रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए।

All demands for maps of categories higher than "Restricted" should be referred to the Ministry of Defence, Government of India.

मानचित्र निर्गम कार्यालय MAP SUPPLY OFFICE

9. सभी प्रतिबन्धित मानचित्र मांग पत्र निम्नलिखित को भेजे जाने चाहिए :-

For all Restricted Maps indents should be addressed as follows :-

निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हाथीबडकला एस्टेट, कैण्ट रोड, देहरादून- 248001 (उत्तराखण्ड) फोन- 0135 - 2749793,

Director, Map Archive & Dissemination Centre, Survey of India, Hathibarkala Estate, New Cantt. Road, Dehra Dun - 248001 (Uttarakhand) Ph. 0135-2749793.

10. सैनिक संगठन और यूनिटों को "प्रतिबन्धित" के अन्तर्गत वर्गीकृत मानचित्रों सहित सभी मानचित्रों के मांग-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आई०ए०ओ 128/67 और ऐसे ही प्रकाशित क्रमिक सेना आदेशों और अनुदेशों को देखना चाहिए।

Military formations and units should refer to I.A.O. 128/67 and to such subsequent Army Orders or instructions as may be published before submitting indents for all maps, including those classified as "Restricted".